पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 198/2024 दिनांक- 23.06.2024

प्रेस विज्ञप्ति

रिजर्व पुलिस लाईन आजमगढ़ में पुलिस कर्मियो को दिया गया नये कानून का प्रशिक्षण

पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के निर्देश के क्रम में आज दिनांक 23.06.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाईन आजमगढ़ स्थित सभागार में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधि0 2023 के नये कानून का प्रशिक्षण अपर निदेशक अभियोजन भानू प्रताप पाण्डेय,संयुक्त निदेशक अभियोजन राम सजीवन वर्मा व अभियोजन अधिकारी, सहायक अभियोजन अधिकारी व अन्य अभियोजन अधिकारियो के द्वारा पुलिस कर्मियो को दिया गया।

➡ अपर निदेशक अभियोजन भानू प्रताप पाण्डेय व संयुक्त निदेशक अभियोजन राम सजीवन वर्मा के द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधि0 2023 के नये कानून का प्रशिक्षण पुलिस कर्मियो को दिया गया तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयो व नवीनतम शासनादेशो के बारे में अवगत कराया गया।

➡ अभियोजन अधिकारी विपीनचन्द्र भास्कर के द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 के नये कानून प्रशिक्षण पुलिस कर्मियो को दिया गया।

➡ सहायक अभियोजन अधिकारी प्रभास रंजन गुप्ता के द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधि0 2023 के नये कानून का प्रशिक्षण पुलिस कर्मियो को दिया गया।

➡ सहायक अभियोजन अधिकारी संजय सिंह के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधि0 2023 के नये कानून का प्रशिक्षण पुलिस कर्मियो को दिया गया।

➡ उक्त प्रशिक्षण में अभियोजन कार्यालय,पुलिस कार्यालय,पुलिस लाईन एवं जनपद के समस्त थानो से लगभग 160 पुलिस कर्मी (प्रधान लेखक, मुख्य आरक्षी व आरक्षीगण) प्रतिभाग कर प्रशिक्षण प्राप्त किये।

एसपी सिटी द्वारा दी गयी इनामियां अपराधियों के घर दबिश

➡ **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य** के द्वारा चलाये जा रहें अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के दृष्टिगत जनपद आजमगढ़ में फरार चल रहें 30 इनामिया अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक- 23.06.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन मय पुलिस टीम द्वारा **शहर क्षेत्र के 20 इनामिया** अपराधियों व **देहात क्षेत्र के 10 इनामिया** अपराधियों के घर दबिश दी गयी।

➡प्रत्येक इनामिया अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु **01 उप-निरीक्षक व 03 आरक्षियों की टीम** गठित की गयी।

➡ इनामिया अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु उसके घर व मिलने वाले सम्भावित स्थलों की दबिश में पुलिस टीम के साथ **अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन** सम्मिलित रहें।

➡प्रत्येक टीम के साथ **सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी** के साथ दबिश दी गयी।

➡ दबिश के दौरान इनामिया अपराधी घर पर मौजूद नहीं मिले, जिन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जायेगा।

➡फरार चले रहें इनामिया अपराधियों के घर के आस-पास व गांव/मुहल्लों में आम जनमानस को अवगत कराया गया कि फरार चल रहें अपराधियों की गिरफ्तारी में सहयोग करनें पर उन पर घोषित पुरस्कार की धनराशि से पुरस्कृत किया जायेगा।

थाना- रौनापार

गोली मार कर डकैती की घटना को अंजाम देने मे 06 अपराधी गिरफ्तार व लूट की एक मो0सा0 व धनराशि बरामद ।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

दिनांक 22.06.24 को वादी सूर्यांशू चौरसिया पुत्र हरिप्रकाश चौरसिया निवासी ग्राम मोचीपुर लाटघाट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ ने थाना रौनापार पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 21.06.2024 को समय करीब 16.00 बजे दोस्तो के साथ लाटघाट बाजार से कुमुद सिंह महाविद्यालय मसूरियापुर नैनीजोर स्कूल पर बंट रहे सरकारी मोबाईल लेने हेतु गये थे कि वापस आते समय रोहुवार अम्बेडकर मूर्ती के पास एक बाईक पर सवार तीन व्यक्ति आये जान मारने की नियत से अवैध असलहा से हमलोगो के ऊपर फायर कर दिये जिससे मुझे पीठ मे गोली लग गयी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे तो गाली गलौज देते हुए जान मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 261/24 धारा 307/504/506 भादवि बनाम एक मो0सा0 पर सवार तीन व्यक्ति नाम पता पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक 23.06.2024 को थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1. अमित यादव पुत्र लालचन्द यादव 2.उपेन्द्र यादव पुत्र स्व0 ओमप्रकाश यादव 3.अजय यादव पुत्र अनिरुध्द यादव 4.राहुल गौड़ पुत्र केशव गौड़ निवासीगण शाहडीह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 5.अमन कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार निवासी ग्राम रामनगर कुकरौछी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 6.आशुतोष कुमार पुत्र कौशल कुमार निवासी ग्राम बनकटा बाजार गोसाई थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को भैसाड़ बाग से समय करीब 4.35 बजे नियामुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा अभियुक्तों के कब्जे से डकैती मे लूटी गई कुल 2000/- रुपये मे से केवल 1210 /- रुपये व दो घटना मे प्रयुक्त मो0सा0 तथा एक मो0सा0 वादी मुकदमा/मजरुब का जो लूटा गया था बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 395/412 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण – गिरफ्तार अभियुक्त उपेन्द्र ने बताया कि दिनांक 21.06.24 को मेरे पास अमित यादव का फोन आया कि एक मो0सा0 वाले से रामपुर देवारा मोड़ पर पंगा हो गया है तथा बात मान सम्मान पर आ गई है तथा मैने अपने मित्रो अमन कुमार, आशुतोष कुमार, सर्फुद्दीन को भी फोन करके बुलाया है तुम भी आ जाओ। कुछ देर बाद मै बेलकुण्डा बाजार पहुचा तो बाजार मे अमित यादव, राहुल गौड़ व अजय यादव मौजूद मिले तथा कुछ देर बाद अमन कुमार,आशुतोष कुमार व सर्फुद्दीन मो0सा0 से आ गये। फिर हम लोग बेलकुण्डा बाजार मे ही वादी पक्ष के लोगो का इंतजार करने लगे कि जैसे ही वादी पक्ष के लोग आये तो मै मो0सा0 चलाने लगा तथा बीच मे सर्फुद्दीन तथा पीछे अमित यादव बैठा था दुसरी मो0सा0 को अमन कुमार चला रहा था तथा उसके पीछे राहुल गौड़, आशुतोष कुमार, अजय यादव बैठे थे। हम लोग मो0सा0 से उनका पीछा करने लगे तथा रोहुवार अम्बेडकर मूर्ति के पास उनके बराबर मे पहुंच कर चलते हुए मो0सा0 से सर्फुद्दीन ने सुर्यांशू और उसके दोस्तो पर चलती मो0सा0 से गोली चलाया था जिससे एक को गोली लग गई थी तथा वे लोग मो0सा0 सहित गिर पड़े थे तथा मौके से जान बचाकर भाग रहे थे कि । उनकी पल्सर मो0सा0 मौके पर गिरी पड़ी थी जिसे लेकर हम लोग भाग गये थे बाद मे हमलोग मो0सा0 की डिग्गी खोल कर देखे तो उसमे एक मोबाईल व 2000/.रुपया था। डिग्गी मे रखे मोबाईल को सर्फुद्दीन ले लिया था तथा डिग्गी मे रखे 2000/. रुपये को हम लोग आपस मे बांट लिये थे। हम लोगो को पता चल गया था कि पुलिस हम लोगो को ढूढ़ रही है तो हम लोग कही दुर भागने की फिराक मे आज हम सभी लोग बाग मे इकट्ठा हुए थे की आप लोगो ने हम लोगो को पकड़ लिया तथा हमारा साथी सर्फुद्दीन मौके से भाग गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 261/24 धारा 307/504/506/395/412 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 261/24 धारा 307/504/506/395/412 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1.अमित यादव पुत्र लालचन्द यादव निवासी शाहडीह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

2.उपेन्द्र यादव पुत्र स्व0 ओमप्रकाश यादव निवासी शाहडीह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

3.अजय यादव पुत्र अनिरुध्द यादव निवासीशाहडीह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

4.राहुल गौड़ पुत्र केशव गौड़ निवासी शाहडीह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

5.अमन कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार निवासी ग्राम रामनगर कुकरौछी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

6.आशुतोष कुमार पुत्र कौशल कुमार निवासी ग्राम बनकटा बाजार गोसाई थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

1-अभियुक्तों के कब्जे से डकैती में लूटी गई एक मो0सा0

2- घटना मे प्रयुक्त दो मो0सा0 तथा लूट के कुल 2000/. रुपये मे से 1210/. रुपये बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

उ0नि0 अखिलेश कुमार सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

हे0का0 निकेश तिवारी हे0का0 रोहित कुमार सिंह हे0का0 प्रमोद कुमार का0 अवधेश यादव का0 विशाल मल्ल थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना मुबारकपुर

साइबर फ्रॉड का कुल 47,250/- रूपया कराया गया वापस

पूर्व की घटनाः-

दिनांक 19.03.2023 को आवेदक अबू राफे पुत्र अनीश अहमद निवासी ग्राम जमुड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ के खाते से साइबर फ्रॉड के माध्यम से 58,000/- रूपया ओटीपी पूछकर काट लिया गया था। कम्प्यूटर ऑपरेटर मेहताब आलम द्वारा आवेदक से साइबर हेल्पलाइन के टोल फ्री नम्बर 1930 पर कॉल कराकर कम्पलेन्ट नं0 33103230041397 दर्ज कराया गया था एवं प्रकरण उपरोक्त की धनराशि को होल्ड कराया गया था।

रूपया वापसी का विवरणः-

आवेदक अबू राफे पुत्र अनीश अहमद निवासी ग्राम जमुड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ के यूनियन बैंक के खाते से साइबर फ्रॉड के माध्यम से काट लिये गये रूपयों के सम्बन्ध मे एनसीआरपी पोर्टल व साइबर सेल की मदद से फ्रॉड के खाता (एक्वीटास बैंक) मे रूपये होल्ड कराया गया एवं प्रकरण उपरोक्त मे म0अ0सं0 96/2024 धारा 420 भादवि व 67 आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराते हुए मा0न्यायालय से कोर्ट आर्डर बनवाया गया एवं कोर्ट ऑर्डर को एक्वीटास बैंक के नोडल अधिकारी को जरिये मेल प्रेषित किया गया। जिसके आधार पर बैंक के नोडल अधिकारी महोदय द्वारा आवेदक अबू राफे के यूनियन बैंक के खाता मे दिनांक 16.06.2024 को कुल 47,250/- रूपया (REFUND) अवमुक्त किया जा चुका है। आवेदक अपना रूपया पाकर प्रसन्न है।

पुलिस टीमः-

अपराध निरीक्षक श्री अखिलेश कुमार शुक्ल थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
कम्प्यूटर ऑपरेटर मेहताब आलम थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
महिला आरक्षी दीक्षा मिश्रा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

थाना सिधारी

अवैध असलहा व कारतूस के साथ शातिर अपराधी गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 23.06.2024 को उ0नि0 युगराज सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान पैकौली रेलवे क्रासिंग के पास एक व्यक्ति सोभीत पुत्र गोविन्द निवासी पटनी प्रतापपुर थाना झिन जाना जिला शामली को एक तमंचा 315 बोर तथा दो जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ समय 12.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 231/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध लूट, हत्या का प्रयास, चोरी आदि संगीन अपराधों में कुल 07 मुकदमें पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- सोभित पुत्र गोविन्द निवासी दुधली पटनी प्रतापपुर थाना झिनझाना जिला शामली उम्र करीब 28 वर्ष

बरामदगी –

1. एक तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0- 231/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0- 1052/18 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर
2.मु0अ0सं0-570/19 धारा 41/411/419/420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली जनपद देवरिया
3.मु0अ0सं0-571/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली जनपद देवरिया
4.मु0अ0सं0-790/23 धारा 392/411 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
5.मु0अ0सं0- 122/24 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
6.मु0अ0सं0- 103/24 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
7.मु0अ0सं0- 231/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1.उ0नि0 युगराज सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
2. कान्स0 विक्की कुमार थाना सिधारी आजमगढ़
3. कान्स0 बृजमोहन कुमार थाना सिधारी आजमगढ़